



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ सतवीर सिंह कुमावत ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सखावदा, पंचायत समिति केशवरायपाटन, जिला बूंदी को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

जयपुर, दिनांक 07 मई 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी स्पेशल युनिट कोटा द्वारा कार्यवाही करते हुए सतवीर सिंह कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सखावदा, पंचायत समिति केशवरायपाटन, जिला बूंदी को परिवारी से 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया की एसीबी स्पेशल युनिट कोटा को दिनांक 05.05.2026 को परिवारी ने उपस्थित होकर एक शिकायत इस आशय की पेश की कि परिवारी पंचायत समिति केशवरायपाटन के अधीन ग्राम पंचायत सखावदा का स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठेका लेकर पंचायत के अधीन आने वाले गांवो में कचरा संग्रहण व नाली सफाई, सामुदायिक परिसरो की साफ सफाई इत्यादी कार्य करता हूं। मैंने साफ सफाई के दो माह के बिल बनाकर विकास अधिकारी श्री सतवीर सिंह पंचायत सखावदा को दिये थे, उक्त दोनो बिल पास हो गये लेकिन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मेरे उक्त दोनो बिलो की राशि 1,50,377/- रुपये पास करने, मेरी सिक्क्योरिटी राशि वापस दिलवाने तथा पहले से जारी अन्य टेंडर आरआरसी के कार्य को ग्राम पंचायत के अधीन निर्वाध रूप से कार्य करने देने व परेशान नही करने की एवज मे 25,000/- रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है, इत्यादी रिपोर्ट पर रिश्वत मांग पर दिनांक 06.05.2026 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया जिसमें रिश्वत मांग की पुष्टी हुई थी।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीना के निर्देशन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकुल शर्मा के नेतृत्व में दिनांक 07.05.2026 को श्री पृथ्वीराज मीना पुलिस निरीक्षक एसीबी स्पेशल युनिट कोटा की टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया, दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी सतवीर सिंह को परिवारी से 25,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो केशवरायपाटन पंचायत समिति, बूंदी में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस.परिमला के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है।